भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2423

उत्तर देने की तारीख : 13.03.2025

पीएम विश्वकर्मा योजना

2423. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों के बीच कौशल अंतराल की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन किया है, यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित, पंजीकृत या प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों की संख्या का आंकड़ा है, यदि हां, तो तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि लाभार्थियों द्वारा बनाए गए विशेषकर तेलंगाना के उत्पादों की ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहुंच हो?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सफलतापूर्वक पंजीकृत सभी लाभार्थियों को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक, देश भर में 19.25 लाख लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के अनुसार बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पीएमवी लाभार्थियों की कौशल और प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एमएसडीई द्वारा प्रत्येक 18 व्यवसायों के लिए 6 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, सभी पंजीकृत लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

(ख) : जी हाँ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा पोर्टल, उन सभी कारीगरों और शिल्पकारों की संख्या संबंधी डेटा रखता है, जिन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ उठाया है, पंजीकरण कराया है या प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दिनांक 05-03-2025 तक, तेलंगाना राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : इस योजना के तहत, तेलंगाना राज्य सहित देश भर के पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने, प्रस्तुत करने और बेचने के लिए व्यापार मेलों, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों आदि सहित विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को ओएनडीसी, अमेजॉन, फैबइंडिया, मीशो आदि जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। विपणन सहायता घटक के तहत, कॉमन सर्विस सेंटर- स्पेशल पर्पस व्हीकल (सीएससी-एसपीवी) को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर 2,00,000 पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को जोड़ने का काम सौंपा गया है, जिनमें से आज तक 29,866 पीएमवी लाभार्थियों को जेम पर सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2423, जिसका उत्तर दिनांक 13.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सफल पंजीकरण	पूर्ण किए गए बुनियादी कौशल प्रशिक्षण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	741	390
2	आंध्र प्रदेश	2,17,450	1,35,925
3	अरुणाचल प्रदेश	5,831	279
4	असम	1,16,060	70,984
5	बिहार	1,47,765	63,499
6	चंडीगढ़	249	73
7	छत्तीसगढ़	1,14,889	65,879
8	दिल्ली	1,950	239
9	गोवा	18,524	8,132
10	गुजरात	2,11,231	1,68,462
11	हरियाणा	36,657	23,728
12	हिमाचल प्रदेश	19,484	9,452
13	जम्मू और कश्मीर	1,53,526	1,20,866
14	झारखंड	40,869	24,094
15	कर्नाटक	5,56,852	4,27,568
16	केरल	21,998	8,280
17	लद्दाख	3,741	1,785
18	लक्षद्वीप	686	76
19	मध्य प्रदेश	2,63,256	1,67,462
20	महाराष्ट्र	2,62,279	1,60,852
21	मणिपुर	14,634	4,262
22	मेघालय	2,976	134
23	मिजोरम	3,224	408
24	नागालैंड	3,407	878
25	ओडिशा	1,01,618	62,009
26	पुडुचेरी	749	96
27	पंजाब	12,407	5,604
28	राजस्थान	2,37,507	1,85,730
29	सिक्किम	2,451	529
30	तमिलनाडु	1	0
31	**तेलंगाना**	**81,824**	**53,085**
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	831	361
33	त्रिपुरा	20,234	13,442
34	उत्तर प्रदेश	1,70,296	99,172
35	उत्तराखंड	19,786	8,955
36	पश्चिम बंगाल	1	0
	कुल योग	**28,65,984**	**18,92,690**

*****